हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible] अन्तर्गत धारा 88,188,207 राजस्थान [illegible] एक्ट वादी की ओर से श्री सतीश शर्मा, एडवोकेट ने [illegible] पेश किया। वकील वादी को सुना गया। प्रस्तुत [illegible] का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर [illegible] जावे। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया [illegible] पत्रावली दिनांक 15.05.2019 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)	
[illegible] पेश हुई। वकील वादी उप। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री सत्य प्रकाश शर्मा ने वकालतनामा [illegible] पेश किया। वकील वादी ने उपस्थित पक्ष प्रतिवादी नं. 3 की तरफ से दावा का पेश किया। जिसे स्वीकार करते में वकील प्रतिवादी ने असहमति जाहिर की। साथ ही उभयपक्षकारान ने रायीनामा पेश किया जो बाद तरमीम शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादी ने मोटरयान अधिनियम सम्बन्ध 2004 के 20 पत्र पेश की जो शामिल पत्रावली की। दावा वादी [illegible] रायीनामा [illegible] किया गया। [illegible] लिखापढ़ शामिल [illegible] पक्षकार [illegible] बाद तरमीम शामिल पत्रावली हो। नम्बर के रूप दो। सहायक कलेक्टर	Banwari [illegible] for Plaintiff No. 3 [illegible] Advocate. ✓ is